आवश्यक

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांकः एफ13/1/3/जिला मार्गदर्शन/वीएस/डीईएस/2019/110

दिनांकः- 27-2-2020

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
जिला कलेक्टर,
समस्त

विषयः- आमजन को जन्म-मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र के लिए निदेशालय भिजवाने के संबंध में।

संदर्भः- माननीय मुख्यमंत्री महोदय की विडियों क्रॉन्फ्रेस दिनांक 14.02.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित वी.सी. के क्रम में लेख है कि दिनांक 14.02.2020 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जिला कलक्टर्स से विडियों क्रॉन्फ्रेस द्वारा आमजन से जुडे छोटे कामों के लिए लोगों का जयपुर तक आना गंभीर माना गया है तथा जो अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाए गये है, उनकी जिम्मेदारी तय कर उनके विरूद्ध मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है।

परन्तु प्रायः देखा गया है कि जिला रजिस्ट्रार एवं उप/सहायक निदेशक/अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं ब्लॉक विकास अधिकारी/रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आमजन को जन्म-मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र से संबंधित प्रकरण/कार्यो के लिए इस निदेशालय भिजवा दिया जाता है, जबकि निदेशालय से इस संबंध में निरन्तर निर्देश प्रदान किये जाते रहे है, की वह प्रकरण की स्वयं के स्तर से जांच कर एवं जांच एवं तथ्यों से सन्तुष्ट होने के पश्चात प्रकरण का निस्तारण करें एवं यदि कोई विशिष्ट प्रकृति का प्रकरण हो तब ही स्वयं की अनुशंषा सहित आवश्यक मार्गदर्शन हेतु प्रकरण निदेशालय भिजवाना सुनिश्चित करेगें।

अतः अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों की पालना में जन्म-मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र से संबंधित प्रकरण का जिला स्तर/ब्लॉक स्तर/ग्राम पंचायत स्तर पर ही निस्तारण करने हेतु रजिस्ट्रीकरण से जुडे हुएं सभी अधिकारी/कार्मिकों को निर्देशित एवं पाबन्द करने का श्रम करावें।

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ13/1/3/जिला मार्गदर्शन/वीएस/डीईएस/2019/110

दिनांकः- 27-2-2020

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिला रजिस्ट्रार एवं आयुक्त नगर निगम समस्त।
2. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक समस्त।

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)